रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112022-240065
CG-DL-E-05112022-240065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4933]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944
No. 4933]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5152(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 18 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1829(अ), तारीख, 13 अप्रैल, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के सूरत जिले में विशेष रेल परियोजना्, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड़ फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, ''द इंडियन एक्स्प्रेस'' (अंग्रेजी) और ''गुजरात मित्र एवं गुजरात दर्पण'' (गुजराती) में तारीख 27 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और एक आक्षेप प्राप्त हुए था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया तथा उसे अननुज्ञात कर दिया गया;

और उक्त अधिनियम की घारा 20ङ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह धोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सूरत जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नामः सूरत

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टयर में क्षेत्रफल	भ्-स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	पलसाना	”ाढाव	ब्लॉक संख्या 66/ए/1/1	निजी	कृषि	0.0897	देवलबेन विपुलभाई देसाई विपुलभाई अरविंदभाई हर्षभाई विपुलभाई देसाई
			ब्लॉक संख्या 66/ए/1/2	निजी	कृषि	0.0439	अल्पेशभाई अरविंदभाई जिग्नाबेन अल्पेशभाई देसाई सगीर प्रथमभाई अल्पेशभाई देसाईना स.वा.तरीके जिग्नाबेन अल्पेशभाई देसाई
			ब्लॉक संख्या 69/ए/1	निजी	कृषि	0.0769	रोहीतभाई रणछोडभाई पटेल
			ब्लॉक संख्या 66/ए/1/1 एवं ब्लॉक संख्या 63/बी/1 के मध्य सडक	सरकारी	रोड	0.0421	सरकारी जमीन
(2)	कामरेज	लसकाना	ब्लॉक संख्या 10/ए	निजी	कृषि	0.0234	घनश्यामभाई रवजीभाई दयाबेन घनश्यामभाई फिंडोलीया

[फा. सं. 2022/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2351]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5152(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1829(E), dated the 13th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 18th April, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its

intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Surat in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English) and “Gujarat Mitra and Gujarat Darpan” (Gujarati) dated the 27th April, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, one objection was received and the same has been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Surat for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of the District: Surat

Sl. No.	Name of Taluka	Name of the village	Survey/ Block Number	Type of land	Nature of land	Area in Hectares	Name of land owners/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Palsana	Sedhav	Block Number 66/A/1/1	Private	Agriculture	0.0897	Devalben Vipulbhai Desai Vipulbhai Arvindbhai Harshbhai Vipulbhai desai.
			Block Number 66/A/1/2	Private	Agriculture	0.0439	Alpeshbhai Arvindbhai Jignaben Alpeshbhai Desai Prathambhai Alpeshbhai Desai’s s.v. Jignaben Alpeshbhai Desai.
			Block Number 69/A/1	Private	Agriculture	0.0769	Rohitbhai Ranchodbhai Patel.
			Road in Between Block Number 66/A/1/1 and 63/B/1	Government	Road	0.0421	Government Land.
2	Kamrej	Laskana	Block Number 10/A	Private	Agriculture	0.0234	Ghanshyambhai Ravjibhai Dayaben Ghanshyambhai Findoliya.

[F. No. 2022/LML-II/12/1/WC/2351]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.05 15:23:02 +05'30'